

# प्रेस नोट दिनांक-24.04.2025

---

## (ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह (जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 04 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 22000-22000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

दिनांक 01.03.2017 को धारा 302,201,147,120बी भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राहुल सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह 2.रवि गुप्ता पुत्र रतन गुप्ता 3.मनीष राजभर पुत्र अशोक उर्फ श्यामसून्दर राजभर 4.प्रमोद राम पुत्र शंकर राम 5.उजाला देवी उर्फ दीपशीखा पत्नी धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध अपराध संख्या- 48/2017 धारा 302,201,147,120बी भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री शशि शंकर सिंह (डीजीसी), श्री राजेन्द्र पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना चकिया के पैरोकार हे0का0 वीरबहादुर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.04.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह (जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 04 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता 1.राहुल सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह 2.रवि गुप्ता पुत्र रतन गुप्ता 3.मनीष राजभर पुत्र अशोक उर्फ श्यामसून्दर राजभर 4.प्रमोद राम पुत्र शंकर राम 5.उजाला देवी उर्फ दीपशीखा पत्नी धर्मेन्द्र सिंह को आजीवन कारावास व 22000-22000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

## थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना बलुआ पुलिस द्वारा 02 पिकअप वाहन से 04 राशि जीवित गोवंश बरामद करते हुए 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे द्वारा जनपद के रास्ते पश्चिम बंगाल राज्य हेतु गोतस्करी पर रोकथाम व गोतस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मारुफपुर बाजार से चहनिया जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान 02 पिकअप वाहन से 04 राशि जीवित गोवंश व 01 राशि मृत बछिया के साथ गो तस्करी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1. राजेन्द्र पुत्र जुम्न निवासी वार्ड नं०- 03 भागसर थाना लालगढ जटान जिला श्री गंगानगर राजस्थान उम्र 19 वर्ष, 2. संजय पुत्र राम कुमार बाल्मीकी निवासी ग्राम धानशिया थाना खुईया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) उम्र 26 वर्ष, 3. रवी पुत्र जिताराम निवासी वार्ड नं० 3 भागसर थाना लालगढ जटान जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) उम्र 34 वर्ष, 4. रवी बाल्मीकी पुत्र सुभाष निवासी ताखरावाली थाना लालगढ जटान जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 95/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु कू० नि० अधि० व 325 बीएनएस पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. राजेन्द्र पुत्र जुम्न निवासी वार्ड नं०- 03 भागसर थाना लालगढ जटान जिला श्री गंगानगर राजस्थान उम्र 19
2. संजय पुत्र राम कुमार बाल्मीकी निवासी ग्राम धानशिया थाना खुईया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) उम्र 26 वर्ष
3. रवी पुत्र जिताराम निवासी वार्ड नं० 3 भागसर थाना लालगढ जटान जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) उम्र 34 वर्ष
4. रवी बाल्मीकी पुत्र सुभाष निवासी ताखरावाली थाना लालगढ जटान जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) उम्र 22 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०सं० 95/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु कू० नि० अधि० व 325 बीएनएस।

### **बरामदगी-**

- 1-04 राशि जीवित गोवंश व 01 राशि मृत गोवंश
- 2-02 पिकअप वाहन (RJ13GC1466 व RJ13GB9439)

### **गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

- प्र०नि० डा० आशीष कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली।  
उ०नि० तरूण पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली।  
उ०नि० अश्वनी कुमार राय थाना बलुआ जनपद चन्दौली।  
हे०का० नन्दगोपाल उपाध्याय थाना बलुआ जनपद चन्दौली।  
हे०का० राजेश यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली।  
का० सुप्रीव चौरसिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

## थाना बलुआ जनपद चन्दौली

### ◆ थाना बलुआ पुलिस द्वारा 10000 रु0 का इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्री मोहित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बलुआ के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा 10000 रु0 का इनामिया वांछित अभियुक्त दिवाकर कन्नौजिया पुत्र बाबूनाथ उर्फ बाबूलाल कन्नौजिया निवासी ग्राम सिस्ती थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिवाकर कन्नौजिया पुत्र बाबूनाथ उर्फ बाबूलाल कन्नौजिया निवासी ग्राम सिस्ती थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1-मु0अ0सं0 131/24 धारा 3/5A/8/5 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 61(2) बीएनएस , 4/25 आर्म्स एक्ट

2-मु0अ0सं0- 56/25 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

निरी0 अपराध रमेश यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

उ0नि0 जमीलूद्दीन खान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

हे0का0 सैय्यद सरताज थाना बलुआ जनपद चन्दौली